अच्छी किस्म की औषधियों के बारे में कानून

4101. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषधियो की अच्छी किस्म के बारे मे कोई नया कानून बनाने का है;

(ख) क्या औषधियो की किस्म पर नियंत्रण रखने और इसमें सुधार लाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर कोई गोष्ठी आयोजित की गई थी,

(ग) यदि हा, तो उसमे क्या निर्णय किये गये है, और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है कि जनता को अच्छी किस्म की औषधिया उचित मूल्यो पर उपलब्ध हो सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) ऐसे किसी नये कानून के बनाने का कोई प्रस्ताव नही है ।

(ख) और (ग). सरकार ने ऐसी कोई गोष्ठी आयोजित नही की है ।

(घ) औषधि एंव प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के उपबन्धों के अन्तर्गत देश मे औषधियों की क्वालिटी पर नियंत्रण रखा जाता है । उपर्युक्त अधिनियम/नियम देश मे औषधिओं के आयात, निर्माण, विक्रय और वितरण को विनियमित करते हैं और राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंसिंग और निरीक्षण पद्धति के जरिये इन पर नियंत्रण रखा जाता है ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को औषधियां उचित मूल्य पर उपलब्ध हों, भारत सरकार का रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 को लागू कर रहा है जिसके अन्तर्गत किसी औषधि का अधिकतम खुदरा मूल्य उक्त मंत्रालय द्वारा नियत किया जाता है और औषधि के लेबल पर उसे अंकित करना आवश्यक होता है ।

एल्यूमिनियम की कमी

4102. **श्री गंगा भगत सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि देश मे एल्यूमिनियम की भारी कमी है क्योंकि विद्युत (पावर) की सप्लाई उचित मात्रा मे न होने के कारण उसका उत्पादन कम है,

(ख) यदि हा, तो पिछले वर्ष की तुलना मे वर्ष 1977-78 मे एल्यूमिनियम का उत्पादन कितना कम होने की सम्भावना है ;

(ग) देश मे एल्यूमिनियम कारखाने कौन-कौन से है और इनमे से किन कारखानो मे उत्पादन कम हुआ है और उसके कारण क्या है, और

(घ) देश मे एल्यूमिनियम की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री करिया मुंडा) : (क) जी हां ।

(ख) एल्यूमिनियम का उत्पादन 1976-77 के उत्पादन की तुलना मे 1977-78 मे लगभग 29,000 से 30,000 टन कम होने की सम्भावना है ।

(ग) एल्यूमिनियम कम्पनी के नाम और उनके प्रद्रावकों के स्थल नीचे दिखाये गये है :—

कम्पनी का नाम	प्रद्रावक स्थल
1. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (भारत सरकार का प्रतिष्ठान)	कोरबा (मध्य प्रदेश)
2. हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	रेनुकूट (उत्तर प्रदेश)
3. इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लि०	(1) अलवाए (केरल) (2) हीराकुड (उडीसा) (3) बलगाव (कर्नाटक)
4. मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लि०	मेट्टूर (तमिलनाडु)

रेनुकूट और बलगाव स्थित प्रद्रावकों मे एल्यूमिनियम का उत्पादन गत वर्ष की तुलना मे इस वर्ष कम रहा जो उनको बिजली की अपर्याप्त सप्लाई और बेलगाव प्रद्रावक मे अप्रैल-जून, 1977 मे 70 दिनों की हडताल के कारण हुआ।

(घ) एल्यूमिनियम उत्पादन के लिये बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे मे राज्य सरकारों से बातचीत की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन की कमी के कारण खपत इकाइयों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, एल्यूमिनियम आयात के प्रबंध किये गये हैं।

Creation of Non-Aligned Nations Information Centre

4103. DR. V. A. SEYID MUHAMMAD: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether India has ratified the instrument for the creation of a Non-Aligned Nations' Information Centre on transnational corporations;

(b) what are the aims and objects of the proposed Centre, and

(c) how many other non-aligned countries have ratified the instrument up to date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S KUNDU). (a) yes, Sir.

(b) The aims and objectives of the Centre are as under:—

(i) To establish a system of information on transnational corporations which will enable non-aligned countries to evolve a strategy and to coordinate their activities in their relations with such corporations.

(ii) To facilitate the full and effective use of experience available in a large number of non-aligned contries.

(iii) To assist countries to exercise the principle of permanent sovereignty over their natural resources and their sovereign right to nationalisation as and when they deem it appropriate.

(iv) To assist countries in the promotion of national regional and inter-regional controls on the activities of transnational corporations.

(c) Nineteen other non-aligned countries have ratified the instrument to date, *viz.*, Cuba, Cyprus, Democratic People's Republic of Korea, People's Democratic Republic of Laos, Panama, Vietnam, Yugoslavia, Senegal, Ethiopia, Madagascar, Somalia, Sudan, Iraq, Algeria, Syria, People's Democratic Republic of Yemen, Guinea, PLO and Libya.